आर्डर शीट

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर

राजस्व अपील सं0 /2026 अनवान *विरमाराम व अन्य बनाम भेराराम*

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
22.01.26	वकील अपीलांट्स एवं रेस्पो0सं0 1 की ओर से केवियटर अधिवक्ता उपस्थित। उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाडमेर) द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 82/2021 में पारित आदेश दिनांक 28.04.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया।
	उभय पक्ष की स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई तथा अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एवं अपीलांट अधिवक्ता की स्थगन के संबंध मे चाही गई इस्तदुआ पर भी मनन किया। दौरान रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा फार्म नं0 3 के संलग्न प्रस्तुत मौका फर्द (नेखमबंदी) दिनांक 25.11.2025 के अनुसार मौके पर अपीलाधीन आदेश की पालना में वादग्रस्त खसरान की पक्की नेखमबंदी की कार्यवाही, उक्त अपील प्रस्तुत करने से पूर्व ही हो चुकी है। ऐसी स्थिति में विलंब से प्रस्तुत उक्त अपील का कोई औचित्य प्रतीत नही होने से, इसी स्तर पर खारिज की जाती है।
	पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर, फैसल शुमार की जावे। निर्णय आज दिनांक खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया।
	22/1/26. (सुनिता चौधरी) अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर